प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुरथाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष 2022.......
प्र0इ0रि0 सं.329/2022..............................दिनांक......26/8/2022........

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 **(संशोधन 2018)** धारायें..........7
(II) * अधिनियम ....धारायें ....
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ......472.. समय ....3·10 Pm
(ब) * अपराध घटने का वार.....**गुरूवार**....दिनांकः–25.08.2022 समय 02.50**पी.एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **21.07.2022(मौखिक)**

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक–**लिखित दिनांक 22.07.2022**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री **दारासिंह** ....
(ब) पिता / पति का नाम **श्री हंसराज..........**
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष......................35 साल ....
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....**परिचालक, राजस्थान परिवहन निगम डीपो हनुमानग**
(ल) पता – गांव दानीराम वाला, 08–एचएच, लंठावाली 09–एमएल जिला व तहसील श्रीगंगानगर

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री विजय कुमार छाबडा पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र मोहन छाबडा जाति अरोडा उम्र 47 साल निवासी मकान नम्बर 529, भट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ जक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ हाल परिचालक, कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीपो हनुमानगढ, राजस्थान।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).**रिश्वती राशि 40,000/– रूपये,**

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 40,000/–रूपये**

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 21.07.2022 को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 को परिवादी श्री दारासिंह पुत्र श्री हंसराज निवासी गांव दानीराम वाला, 08–एचएच, लंठावाली 09–एमएल जिला व तहसील श्रीगंगानगर के पास हनुमानगढ भेजकर सम्पर्क करने पर परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि "मै। राजस्थान रोडवेज हनुमानगढ डीपों में परिचालक के पद पर कार्यरत हूं। प्रार्थी का 2002 से सन 2022 तक बकाया एरियर के भुगतान एवं प्रार्थी बीमार होने के कारण मार्ग ड्यूटी से ऑफिस में ड्यूटी लगवाना चाहता है। ऑफिस ड्यूटी के एवज में मुख्य प्रबंधक हनुमानगढ डीपो श्री दीपक भोबिया परिचालक श्री विजय छाबडा के मार्फत 50,000/– रूपये मांग रहा है उक्त दोनों अधिकारी व कर्मचारी को मैं रिश्वत न देकर दोनों को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं इन दोनों से मेरी कोई रंजीश नही हैद ना ही वह मेरे कोई रिश्तेदार है एवं न ही कोई बकाया लेन देन है। श्रीमान्जी से निवेदन है कि इन दोनों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये। तत्पश्चात परिवादी से जरिये दूरभाष ही मजीद पूछताछ की गई। परिवादी की रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर श्री रमजान अली कानि0 466 को परिवादी का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर आईन्दा मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश करने की हिदायत कर मामले में नियमानुसार अग्रिम सत्यापन करने बाबत निर्देशित किया गया। तत्पश्चात कानि0 श्री रमजान अली मामले में गोपनीय सत्यापन करवाकर दिनांक 22.07.2022 को जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराने पर आईन्दा कार्यालय में आकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत की गई।

दिनांक 25.07.2022 को कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय में परिवादी श्री दारासिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया। जिस पर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर उसमें रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया। जिसमें संदिग्ध अधिकारी श्री विजय कुमार छाबडा द्वारा परिवादी के वेतन एरियर का भूगतान करवाने की एवज में स्वयं तथा श्री दीपक भोबिया, मुख्य प्रबंधक के लिये 50,000/– रूपये की मांग किया जाना सत्यापित हुआ। जिस पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर को परिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अब तक कार्यवही के बारे में हालात निवेदन किये गये। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही बाबत निर्देश प्रदान किये। तत्पश्चात परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर आईन्दा संदिग्ध कर्मचारी/अधिकारी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने की हिदायत की गई।

दिनांक 24.08.2022 को परिवादी श्री दारासिंह ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि संदिग्ध कर्मचारी श्री विजय कुमार छाबडा ने मुझे पूर्व में की गई रिश्वत मांग सम्बंध में वार्ता कर कहा है कि आप उक्त पैसों की व्यवस्था कर लो। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि सम्भव है कि वह अब कभी भी मुझसे रिश्वत प्राप्त कर सकता है। जिसके सम्बंध में उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री अंकित सक्सैना पुत्र स्व0 श्री विष्णु कुमार

9

सक्सैना जाति कायस्थ उम्र 29 साल निवासी प्लाट नम्बर 199, वासुदेवपुरी कॉलोनी, शहीद मंगेजसिंह पार्क के पास, कालवाड रोड पुलिस थाना झोटवाडा जयपुर, पश्चिम, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपायुक्त राजस्व –प्रथम, नगर निगम ग्रेटर जयपुर एवं श्री राजेन्द्र मोहन माथूर पुत्र स्व0 श्री नवल मोहन माथूर जाति कायस्थ उम्र 57 साल निवासी मकान नम्बर 73, साउथ पार्क, भवानीशंकर कॉलोनी, बेनाड रोड, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर पश्चिम, जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को तलब कर अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया तथा अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति ली गई तो दोनों गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति प्रदान की।

तत्पश्चात दिनांक 25.08.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रघुवीरशरण पुलिस निरीक्षक, मय कानि0 श्री रमजान अली नं0 466, श्री पन्नालाल नं. 09, श्री अमित ढाका नं0 589, श्री सुभाष कानि0 465, श्री मनीष सिंह कानि0 486, श्री विनोद कानि0 242, श्रीमती निधि महिला कानि.86 मय स्वतंत्र गवाहान श्री अंकित कुमार सक्सेना, श्री राजेन्द्र मोहन माथूर सरकारी वाहन मय चालक मय प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर रेलवे स्टेशन, हनुमानगढ पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री दारासिंह से सम्पर्क करने पर परिवादी श्री दारासिंह मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया, जिसे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना तथा हमराहियान का परिचय दिया तथा स्वतंत्र गवाहान श्री अंकित सक्सैना तथा राजेन्द्र मोहन माथूर से परिवादी को आपस में परिचय करवाकर उक्त दोनों को स्वतंत्र गवाहान होने बाबत परिवादी से आवश्यक समझाईस की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री दारासिंह को स्वतंत्र गवाहन के समक्ष संदिग्ध अधिकारी श्री विजय कुमार छाबडा को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी अपने पास से 500–500 रूपये के 80 नोट कुल 40,000/– रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। कानि0 श्री विनोद कुमार नं0 242 से उसके बैग में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 40,000/– रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के 80 नोटों पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस कर फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् कानि0 श्री विनोद नं0 242 को फिनाफथलीन पावडर की शीशी सुपुर्द कर ब्यूरो मुख्यालय हेतु रवाना किया।

तत्पश्चात परिवादी श्री दारासिंह ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा उक्त रिश्वत राशि स्वयं तथा श्री दीपक भोबिया, मुख्य प्रबंधक के लिये प्राप्त कर रहा है तथा आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा बस स्टेण्ड, हनुमानगढ पर है तथा संदिग्ध श्री दीपक भोबिया, मुख्य प्रबंधक कार्यालय में है । इस प्रकार दोनों अलग अलग जगहों पर है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक भोबिया की निगरानी हेतु श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक मय श्री पन्नालाल कानि.09, श्री सुभाष मील कानि.465 मय सरकारी वाहन व चालक के कार्यालय डिपो प्रबन्धक राज0 राज्य पथ परिवहन हनुमानगढ को रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री दारासिंह को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर सुपुर्द करवाकर उसकी मोटरसाईकिल से कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 तथा श्री मनीषसिंह नं0 486 के साथ बाद हिदायत रेल्वे स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन के सामने की रेल्वे लाईन की पुलिया के नीचे से रोडवेज बस स्टेण्ड, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हनुमानगढ जंक्शन, राजस्थान हेतु रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं

कानि0 श्री अमित ढाका, श्रीमती निधि महिला कानि0 86 मय प्राईवेट वाहन के परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे–पीछे रवाना होकर बस स्टेण्ड, हनुमानगढ जंक्शन के पास कमल होटल के सामने पहुंचे, जहां पर परिवादी ने दोनों कानिस्टेबलों को बस स्टेण्ड से बाहर ही उतारकर अपनी मोटरसाईकिल से बस स्टेण्ड के अन्दर प्रवेश किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस भी प्राईवेट वाहन को बस स्टेण्ड से कुछ दूरी पर ही खडा कर दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा कानि0 श्री अमित के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे–पीछे पैदल बस स्टेण्ड में प्रवेश कर अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इंतजार में मूकिम हुये। परिवादी ने बस स्टेण्ड में अपनी मोटरसाईकिल खडी कर बस स्टेण्ड के पूछताछ कक्ष में प्रवेश किया तथा कुछ समय पश्चात परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस की ओर देखकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता मय उपरोक्त मौतबिरान के परिवादी के पास पहुंचा तो परिवादी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर पूछताछ कक्ष में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह ही संदिग्ध अधिकारी श्री विजय कुमार छाबडा, परिचालक है, जिसने अभी मेरे से मेरे वेतन एरियर संबंधी कार्य करवाने की एवज में स्वयं तथा प्रबन्धक डीपो श्री दीपक भोबिया के लिये पूर्व में की गई रिश्वत मांग के अनुसरण में 40,000/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की है जो उन्होंने अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई टी–शर्ट के उपर की जेब में रखी है। उसने पहले मुझे रिश्वत राशि मंदिर के पुजारी के मार्फत लेने के लिये रिश्वत राशि पुजारी जी को देने के लिये कहा फिर मेरे द्वारा पुनः कहने पर उसने मेरे से रिश्वत राशि लेकर अपनी पहनी हुई टी–शर्ट की जेब में रखी है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता तथा परिवादी श्री दारासिंह के साथ पूछताछ कक्ष में प्रवेश किया तो पूछताछ कक्ष की खिडकी के सामने की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसको अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताते हुये उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री विजय कुमार छाबडा पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र मोहन छाबडा जाति अरोडा उम्र 47 साल निवासी मकान नम्बर 529, भट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ जक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ हाल परिचालक, कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हनुमानगढ, राजस्थान होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष पूछा की अभी आपने परिवादी श्री दारासिंह से कोई रिश्वती राशि ली है, जिस पर पहले तो संदिग्ध आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा घबरा गये, फिर तसल्ली देकर आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा को पुनः पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं श्री दारासिंह के कार्य के सम्बंध में चीफ मैनेजर श्री दीपक भोबिया से बात करूंगा, वह कार्य करने की एवज में पैसे लेते है इनके कार्य के लिये मैंने अनुमान के तौर पर 50,000/– रूपये लेना बताया था। जिस पर आज यह 40,000/– रूपये लेकर आये थे। मैंने अभी तक इनके काम के सम्बंध में चीफ मैंनेजर दीपक भोबिया से बात नहीं की है। मैंने सुना है कि श्री दीपक भोबिया पैसे लेकर परिचालकों के कार्य करते है बिना पैसे वह किसी का कोई कार्य नहीं करते है। मैंने इसलिये ही उनके लिये परिवादी श्री दारासिंह से यह राशि ली है। मैंने अभी थोडी देर पहले श्री दारासिंह को इस राशि के लिये मना किया था क्योंकि मेरी अभी इनके कार्य के सम्बंध में चीफ मैंनेजर से कोई बात नहीं हुई है। परन्तु इनके द्वारा जोर देकर अपना काम कराने के लिये कहने पर मैंने इनका कार्य करवाने के लिये इनसे पैसे ले लिये है। जिस पर परिवादी श्री दारासिंह ने बताया कि मेरा एरियर दिलवाने के एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के समय श्री विजय कुमार छाबडा ने मुझसे स्वयं तथा चीफ मैनेजर श्री दीपक भोबिया के लिये 50,000/– रूपये की रिश्वत राशि की मांग की तथा आज उसी मांग के क्रम में इसने मुझसे अभी 40,000/– रूपये प्राप्त किये है। तत्पश्चात की स्वतंत्र गवाह श्री अंकित सक्सैना से आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा के टी–शर्ट के उपर की जेब की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई टी–शर्ट के उपर

के जेब में से पांच–पांच के नोटों की एक गड्डी (भारतीय चलन मुद्रा की) निकालकर पेश की, उक्त नोटों को दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो उक्त गड्डी में 500–500 रूपये के कुल 80 नोट कुल 40,000/– रूपये बरामद हुये। तत्पश्चात आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा का दाहीना हाथ श्री रमजान अली कानि0 466 तथा बांया हाथ श्री मनीष सिंह कानि0 486 से पकडवाया जाकर आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा के कब्जे से बरामद रिश्वत राशि दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। उक्त बरामदा रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित (फर्दानुसार) किये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा, परिचालक के कब्जे से उसकी टी–शर्ट के उपर की जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 40,000/–रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि परिवादी ने आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा ने रिश्वत राशि स्वयं तथा संदिग्ध चीफ मैंनेजर श्री दीपक भोबिया के लिये लेना अवगत कराया है तथा उक्त तथ्य की पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से भी होती है। जिसके सन्दर्भ में पुनः आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा से पूछा गया तो श्री विजय कुमार छाबडा ने बताया कि अभी मेरी परिवादी के कार्य के सम्बंध में श्री दीपक भोबिया से कोई वार्ता नहीं हुई है। मैं उनसे वार्ता करने वाला था परन्तु मुझे समय नहीं मिल पाने के कारण मैं उनसे वार्ता नहीं कर पाया। मुझसे श्री दीपक भोबिया ने श्री दारासिंह के कार्य के सम्बंध में कोई रिश्वत की मांग नहीं की है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने पुनः बताया कि आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा झूठ बोल रहा है इसने मुझसे पूर्व में श्री दीपक भोबिया से मेरे कार्य के सम्बंध में वार्ता होना तथा श्री दीपक भोबिया द्वारा रिश्वत की मांग करना बताया गया है। जिस पर आरोपी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मेरी उनसे श्री दारासिंह के कार्य के सम्बंध में कोई वार्ता नहीं हुई है आप कहो तो मैं अभी उनसे वार्ता कर लेता हूं जिससे आपको इस बात का पता चल जायेगा कि मेरी पूर्व में उनसे वार्ता हुई की नहीं। जिस पर उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा के मोबाईल नम्बर 9929891006 से श्री दीपक भोबिया के मोबाईल नम्बर 9549653525 पर कॉल कर फॉन का लाउडस्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तो श्री दीपक भोबिया द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा ने बताया कि हो सकता है कि वह मेरा व्हाट्स एप्प कॉल रिसीव कर ले तत्पश्चात श्री विजय कुमार छाबडा के व्हाट्स एप्प नम्बर 9414510231 से श्री दीपक भोबिया के व्हाट्स एप्प नम्बर 9887824717 पर कॉल कराकर फॉन लाउडस्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तो सामने से व्यक्ति ने फोन रिसीव किया तथा आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा द्वारा परिवादी के कार्य के सम्बंध में वार्ता करने पर उसके द्वारा रिश्वत राशि के सम्बंध में मनाही की गई। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। चूंकि मौके पर रोडवेज कर्मचारियों तथा आम लोगों की आमद रफत ज्यादा होने तथा लोगों की भीड़ भाड अत्यधिक होने के कारण अग्रिम कार्यवाही मौके पर किया जाना सम्भव नहीं होने से अब तक के हालात जरिये दूरभाष उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। जिस पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही एसीबी चौकी, हनुमानगढ जंक्शन पर की जानी है। तत्पश्चात आरोपी के दाहिने हाथ को कानि0 श्री रमजान अली तथा बायें हाथ को कानि0 श्री मनीष सिंह से पकडवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमाराहियान जाब्ते तथा जब्तशुदा राशि एवं आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा के मौके से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ हेतु रवाना हुआ। पूर्व से रवानाशुदा टीम प्रभारी श्री रघुवीरशरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता को भी श्री दीपक भोबिया, प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हनुमानगढ, जक्शन को अग्रिम अनुसंधान हेतु तलब कर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ पर उपस्थित आने की आवश्यक हिदायत की गई।

तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता मय आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा एवं जब्तशुदा रिश्वत राशि के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ पहुंचा। जहां परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर गवाहान के समक्ष चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया, जिसमें प्रारम्भ में आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा द्वारा स्वयं रिश्वत प्राप्त करने से करते हुये किसी पुजारी को देने के लिये कहने की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि बाद में आरोपी ने मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने दोनों हाथों में ले ली थी। जिस पर परिवादी श्री दारासिंह द्वारा बताये गये तथ्यों की ओर पुष्टि हेतु आरोपी श्री वियज कुमार छाबड़ा के दोनों हाथों की अंगुलियों मय अंगुठे तथा आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई टी–शर्ट के उपर के जेब का नियमानुसार धोवन लिया जाकर पृथक–पृथक कांच की शिशियों में भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्का अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा द्वारा पहनी हुई टी–शर्ट की जेब को सुखाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाने के पश्चात एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर मार्का अंकित कर शील्डमोहर कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री रघुवीरशरण, पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के श्री दीपक भोबिया, प्रबंधक, आरएसआरटीसी, हनुमानगढ जंक्शन डीपो को तलब कर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ लेकर उपस्थित आने पर श्री दीपक भोबिया, मुख्य प्रबंधक, हनुमानगढ डीपो से आवश्यक पूछताछ की गई तथा श्री दीपक भोबिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। बाद अनुसंधान श्री दीपक भोबिया को रूखसत किया गया। जब्तशुदा मालखाना आर्टिकल्स एवं सिलचिट रिश्वत राशि को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई वार्ता में श्री विनोद माली का उल्लेख किया जाना पाया गया है। जिसकी भूमिका के सम्बंध में जानकारी हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री विनोद माली के मोबाईल नम्बर प्राप्त कर उसके मोबाईल नम्बर 9413432534 पर जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो श्री विनोद माली ने ड्यूटी पर होना बताया। जिसकी प्रकरण में भूमिका के सम्बंध में आईन्दा विस्तृत अनुसंधान किया जायेगा। दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 22.07.2022 को आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा तथा परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन तथा दिनांक 25.08.2022 को रिश्वत आदान–प्रदान के समय हुई वार्ता एवं आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा तथा श्री दीपक भोबिया के मध्य मोबाईल फोन से जरिये व्हाट्स एप्प कोल हुई वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा तत्पश्चात उक्त वार्ताओं की कम्प्यूटर के जरिये चार सी.डी. तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र मोहन छाबडा जाति अरोडा उम्र 47 साल निवासी मकान नम्बर 529, भट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ जक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ हाल परिचालक, कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीपो हनुमानगढ, राजस्थान द्वारा परिवादी श्री दारासिंह से उसके वेतन एरियर की राशि का भूगतान करवाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 22.07.2022 को 50,000/– रूपये के अनुचित लाभ की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 25.08.2022 को 40,000/– रूपये बतौर रिश्वत राशि अनुचित लाभ प्राप्त करना करना प्रमाणित पाये जाने से आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा द्वारा अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू

मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

इस प्रकार कार्यवाही से आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र मोहन छाबडा जाति अरोडा उम्र 47 साल निवासी मकान नम्बर 529, भट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ जक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ हाल परिचालक, कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीपो हनुमानगढ, राजस्थान द्वारा परिवादी श्री दारासिंह से उसके वेतन एरियर की राशि का भूगतान करवाने तथा ऑफिस में ड्यूटी लगवाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 22.07.2022 को 50,000/– रूपये के अनुचित लाभ की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 25.08.2022 को 40,000/– रूपये बतौर रिश्वत राशि अनुचित लाभ प्राप्त करना करना पाये जाने से आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र मोहन छाबडा जाति अरोडा उम्र 47 साल निवासी मकान नम्बर 529, भट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ जक्शन पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ हाल परिचालक, कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीपो हनुमानगढ, राजस्थान के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विजय कुमार छाबडा पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र मोहन छाबड़ा, परिचालक, कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डिपो हनुमानगढ़, राजस्थान के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 329/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2876-80 दिनांक 26.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हनुमानगढ़ आगार, जिला हनुमानगढ़।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

26.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।